भारतीय रिज़र्व बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति

योग्य उम्मीदवारों से एक (1) पद (अनारक्षित श्रेणी) के लिए निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि स्टालिन सेंट्रल, डी. नं: 27-37-158, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002, आंध्र प्रदेश में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) की डिस्पेंसरी के लिए है।

i. योग्य उम्मीदवार केवल अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सीलबंद लिफाफे में भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, मुख्य कार्यालय भवन, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 के पते पर 13 जून 2025 को 17:30 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन पंजीकृत डाक/कूरियर/हस्तदाति स्वीकार किए जाएंगे। सीलबंद लिफाफे पर 'निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के पद के लिए आवेदन' लिखा होना चाहिए।

ii. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और आवेदन जमा करने से पहले अपनी पात्रता के बारे में संतुष्ट हों।

iii. निर्धारित प्रारूप में न होने वाले या आवश्यक दस्तावेज़ों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के बिना आवेदन को तात्कालिक रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

iv. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उक्त विज्ञापन के संबंध में जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा, केवल बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

2. पात्रता मानदंड:

i. आवेदक के पास चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए।

ii. सामान्य चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

iii. आवेदक के पास किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली का अभ्यास करते हुए न्यूनतम दो (02) वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार इस रिक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अनारक्षित श्रेणी के बराबर शैक्षणिक योग्यता के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

v. ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' में आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी "सामान्य" (यूआर) के रूप में दर्शानी चाहिए।

vi. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

vii. आवेदक की डिस्पेंसरी/निवास बैंक की डिस्पेंसरी, अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, स्टालिन सेंट्रल, डी. नं. 27-37-158, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002, आंध्र प्रदेश से 3-5 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए।

3. पारिश्रमिक, ड्यूटी समय और अन्य शर्तें:

i. संविदा की अवधि तीन वर्षों के लिए होगी। संविदा की अवधि समाप्त होने पर संविदा का नवीनीकरण नहीं होगा।
ii. संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक संविदा की पूरी अवधि के दौरान किए गए वास्तविक ड्यूटी घंटों के संदर्भ में तय किया जाएगा और यह सभी समावेशी होगा।
iii. डिस्पेंसरी का स्थान, पारिश्रमिक की दर और संकेतित ड्यूटी समय नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्र.सं.	डिस्पेंसरी का नाम और पता	कार्य दिवस	सांकेतिक कार्य समय@	पारिश्रमिक
(a)	भारतीय रिज़र्व बैंक स्टालिन सेंट्रल डी.नं.:27-37-158 एमजी रोड गवर्नर पेट विजयवाड़ा-520002 आंध्र प्रदेश	सोमवार से शुक्रवार	पूर्वाह्न 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक	1. संविदा की पूरी अवधि अर्थात तीन वर्ष के लिए ₹1000.00 प्रति घंटा। 2. देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से ₹1000.00 की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। 3. ₹1000.00 प्रति माह की दर से मोबाइल शुल्क की प्रतिपूर्ति।
@ आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन संभव				

iv. यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदा के आधार पर है। इस हेतु कोई अधिवर्षिता लाभ जैसे कि पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। कोई छुट्टी, भत्ते/सुविधाएँ स्वीकार्य नहीं होंगी। यदि किसी सार्वजनिक छुट्टी पर डिस्पेंसरी में उपस्थित होना आवश्यक हो, तो प्रति घंटे ₹1,000/- का मुआवजा दिया जाएगा।
v. बैंक को समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने, बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के लिए कार्य के समय को बदलने और डिस्पेंसरी के स्थान को अपने विवेक पर बदलने का अधिकार है, बशर्ते यदि यह प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हो। तदनुसार, उम्मीदवार को समय-समय पर सलाह के अनुसार बैंक की डिस्पेंसरी में उपस्थित होना पड़ सकता है।
vi. एक बीएमसी के कार्य के घंटों की संख्या, बैंक की आवश्यकता के अनुसार प्रति सप्ताह 30 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, यदि कोई बीएमसी सभी डिस्पेंसरी में नियुक्त है, तो उसकी कुल संलग्नता के घंटे प्रति सप्ताह 30 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।
vii. बीएमसी के रूप में चयनित डॉक्टर को एक "स्व-घोषणा" प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जिसमें यह कहा जाएगा कि उसके वर्तमान नियोक्ता(ओं) को बैंक के साथ उसकी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है।
viii. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार कृपया अनुलग्नक-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदन को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए, जिस पर लिखा हो: -
"संविदा के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन (निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ)"।

ix. आवेदकों को आवेदन जमा करने का विवरण ई-मेल आईडी: krmaya@rbi.org.in, aruna@rbi.org.in, dmohanranga@rbi.org.in पर भी सूचित करना होगा।

4. चयन प्रक्रिया:

i. बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानदंड आदि बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अलावा, बैंक उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा जिन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

ii. साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को बीएमसी के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक के साथ संविदा करने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षणों की लागत आवेदकों को वहन करनी होगी।

iii. पद के लिए चयनित उम्मीदवार को उसके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने और अनुलंग्रक-I के अनुसार संविदा की शर्तों और अनुलग्नक-II के अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन नियुक्त किया जाएगा।

iv. चयनित आवेदक को संविदा के आधार पर बीएमसी के रूप में नियुक्ति से पहले बैंक के साथ निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा।

अनुलग्नक-I

नियम और शर्तें:

1. बैंक के साथ की जाने वाली संविदा इसके लागू होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। संविदा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति के लिए कोई नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

2. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऊपर बताए गए ड्यूटी घंटों के दौरान (या बैंक द्वारा तय की गई लंबी अवधि के लिए) डिस्पेंसरी की देखभाल करे, जिसमें बैंक की छुट्टियों को छोड़कर अर्ध-वार्षिक समापन और वार्षिक लेखाबन्दी के प्रयोजनों के लिए अवकाश के रूप में घोषित दिन शामिल नहीं होंगे, बशर्ते कि डिस्पेंसरी को लगातार दो दिनों तक बंद न रखा जाए। बैंक आवश्यकता के आधार पर ऊपर बताए गए ड्यूटी घंटों से परे बीएमसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

3. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक के दौरे पर आने वाले कर्मचारियों सहित स्टाफ के सदस्यों, आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत्त कर्मचारी सदस्यों/उनके जीवनसाथी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, सहित उनके परिवार के सदस्यों को, जो निर्धारित समय के दौरान उपस्थित होते हैं (बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार समय और/या अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है) को निःशुल्क परामर्श दे, निःशुल्क दवाइयाँ लिखे तथा इंजेक्शन लगाए। बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह बैंक के कर्मचारियों के संबंध में किसी भी समय बैंक की अनुसूची में निर्धारित दरों पर बैंक के कर्मचारियों के लिए अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहे। बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू शुल्क की अनुसूची बैंक द्वारा बीएमसी को अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

4. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह उन कर्मचारियों के रिश्तेदारों को पैराग्राफ (3) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करे, जिन्हें अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है और बीएमसी संबंधित कर्मचारियों से समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर बैंक के खाते में जमा करने के लिए शुल्क की वसूली की सुविधा प्रदान करेंगे।

5. बीएमसी का यह कर्तव्य होगा कि वह सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के समान कर्तव्यों का पालन करे, भले ही उसके पास कोई भी योग्यता (स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता) हो या भविष्य में प्राप्त की जा सकती हो। यह सुनिश्चित करना बीएमसी

का कर्तव्य होगा कि उसके पास जो योग्यताएं हैं या भविष्य में प्राप्त की गई हैं, वे उसे किसी भी तरह से सामान्य चिकित्सा व्यवसायी के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से न रोकें। यदि भारतीय चिकित्सा परिषद के किसी भी प्रावधान के अनुसार, बीएमसी द्वारा धारित या अर्जित योग्यताएं, जैसा भी मामला हो, सामान्य चिकित्सक के रूप में कार्य करने के लिए बैंक की ऊपर बताई गई आवश्यकताओं के साथ टकराव में आती हैं, तो बीएमसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इसके कारण कोई देयता या जिम्मेदारी बैंक पर न आए और बीएमसी इसके लिए हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा। बीएमसी की देयताएं एक स्वतंत्र संविदाकर्ता की होंगी, न कि बैंक के एजेंट की।

6. आरबीआई अधिकारियों/कर्मचारियों के क्वार्टरों की डिस्पेंसरियों में बीएमसी के कर्तव्यों में ऊपर बताई गई अन्य आवश्यकताओं के अलावा यह भी शामिल होगा:

i. छोटी और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित इनसे मिलते हैं।
ii. डिस्पेंसरियों में या बैंक के परिसर में या बैंक के परिसर के बाहर लाए गए आपातकालीन मामलों का उपचार और जब भी बुलाया जाए, उचित अस्पतालों को रेफर करना, भले ही ऐसी आवश्यकता सामान्य कार्य घंटों के बाहर उत्पन्न हो।
iii. सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना, यदि कोई अप्रिय प्रतिक्रिया होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेना। नियम के अनुसार, बीएमसी की अनुपस्थिति में फार्मासिस्ट द्वारा इंजेक्शन लगाने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। बीएमसी पर कार्यभार अधिक होने पर फार्मासिस्ट को नियमित और सरल प्रकार के इंजेक्शन लगाने के लिए प्रशिक्षित करना।
iv. महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और छोटी सर्जरी केवल बीएमसी द्वारा ही की जानी चाहिए। हालांकि, अगर बीएमसी को विश्वास है कि फार्मासिस्ट के पास अपेक्षित योग्यता है, तो नियमित ड्रेसिंग उनके द्वारा की जा सकती है।

7. बीएमसी को बैंक के किसी भी कर्मचारी के निवास पर जाना होगा, जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए और उसके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी यात्राओं के लिए, बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

8. बीएमसी को जहां भी आवश्यक हो, चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाण पत्र जारी करना होगा और मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य योग्य चिकित्सकों के प्रमाण पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करना होगा।

9. बीएमसी को अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है तो उन्हें स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित विज़िट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने का अधिकार होगा। इस प्रकार निर्धारित विज़िट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के लिए शुल्क शामिल होंगे। बीएमसी द्वारा ऐसी विजिट के लिए कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

10. यदि आवश्यक हो, तो बीएमसी को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए फॉर्म में किसी भी कर्मचारी या किसी भी संभावित कर्मचारी की स्वास्थ्य स्थिति और/या सेवा के लिए उपयुक्तता के बारे में प्रमाणित करना आवश्यक है, जिसे बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है।

11. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों को उपचारात्मक उद्देश्य के लिए आवश्यक विशेष/महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित केमिस्टों को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करना आवश्यक है और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए उनकी प्रतियां बैंक को अग्रेषित करना आवश्यक है।

12. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों या उनके परिवारों को अस्पताल में ऐसी सुविधाओं (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर अस्पताल में भर्ती होने के लिए) की आवश्यकता होने पर अस्पताल की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अपने पदों का उपयोग करना अपेक्षित है।

13. बीएमसी को महीने में एक बार कार्यालय परिसर का निरीक्षण करना आवश्यक है और रिपोर्ट करना आवश्यक है कि क्या उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा गया है।

14. बीएमसी को टाइफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके लगाने तथा जब भी आवश्यक हो चेचक के लिए टीके लगाने की आवश्यकता होती है।

15. बीएमसी को बैंक के कर्मचारियों के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च या बैंक द्वारा तय की गई किसी भी तिथि को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

16. बीएमसी दवाओं के उचित भंडारण तथा उनके वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे तथा इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था भी करेंगे।

17. बीएमसी को दवा के मांगपत्रों पर सलाह देने तथा दवा के स्टॉक-शेष तथा खपत की प्रति-जांच करने की आवश्यकता होती है।

18. बीएमसी को चिकित्सा दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार की लागत के लिए उपयुक्तता सहित पेशेवर राय देने की आवश्यकता होती है, जब भी उन्हें इसे रिफ़र किया जाए।

19. बीएमसी को बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक की चिकित्सा सुविधा योजना और चिकित्सा सहायता निधि योजना के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना होगा, जिसमें डिस्पेंसरी सुविधा भी शामिल है, जैसा कि आम तौर पर एक सामान्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है/किया जाना आवश्यक है।

20. बीएमसी का पारिश्रमिक **1000/- रुपये प्रति घंटा** निर्धारित है। हालांकि, बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है और इस प्रकार देय कुल मासिक पारिश्रमिक में से 1000/- रुपये प्रति माह की राशि को परिवहन व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, बीएमसी को कोई अधिवर्षिता लाभ जैसे पेंशन, भविष्य निधि या ग्रेच्युटी देय नहीं होगी, बीएमसी को कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी, कोई भी भत्ते/सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। बीएमसी की आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोतों पर काटा जाएगा।

21. बैंक अपने पूर्ण विवेक से, किसी अन्य स्थान पर अपने कर्मचारियों/उनके परिवारों को बीएमसी सुविधाएं प्रदान करने की इच्छा होने पर प्रतिदिन एक घंटा बढ़ाने की पेशकश कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो प्रस्ताव की स्वीकार्यता और बीएमसी सुविधा प्रदान करने का समय आपसी परामर्श से तय किया जाएगा।

22. बीएमसी के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, उसे अपने जोखिम और लागत पर योग्यता और अनुभव के अनुसार बैंक के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

23. बीएमसी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, विजयवाड़ा कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

24. बीएमसी को अनुलग्नक-II में दी गई आचार संहिता का पालन करना आवश्यक होगा।

25. संविदा लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, बशर्ते कि उपरोक्त नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाए और अनुलग्नक-II में दी गई बैंक की आचार संहिता का पालन किया जाए। संविदा की अवधि पूरी होने पर नियुक्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

26. संविदा के तहत बीएमसी की नियुक्ति अस्थायी आधार पर है और किसी भी स्तर पर उस आधार पर नियमित रोजगार या बैंक के नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

27. संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस जारी करने या उसके बदले में तीन महीने का पारिश्रमिक देने पर समाप्त किया जा सकेगा।

28. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद विजयवाड़ा और अमरावती उच्च न्यायालय के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

अनुलग्नक-II

बैंक के चिकित्सा परामर्शदाताओं के लिए आचार संहिता जिनकी सेवाएं संविदा के आधार पर निश्चित पारिश्रमिक घंटे के आधार पर नियोजित की गई हैं

1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन, अनुपालन करेगा और मानेगा जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उसे समय के लिए रखा जा सकता है।

2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उससे संबंधित मामलों के बारे में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, या जब तक कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए।

3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठा से बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयासों का उपयोग करेगा और सभी व्यवहार में शिष्टाचार और ध्यान देगा।

4. कोई चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगरपालिका परिषद, जिला बोर्ड या किसी केंद्रीय या राज्य विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा।

5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा नहीं होगा या किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या संविदा के अपने नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा।

6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व मंजूरी के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित किसी भी बात को प्रेस में नहीं देगा या किसी भी दस्तावेज, कागजात, या जानकारी को प्रकाशित नहीं करेगा जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसकी क्षमता में उसके कब्जे में आ सकता है।

7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक नहीं होगी।

9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के प्रति अपनी सेवाओं को आउटसोर्स नहीं करेगा।

10. चिकित्सा परामर्शदाता निम्नलिखित कार्य करेगा-

i. वह उस क्षेत्र में मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा, जहां वह फिलहाल मौजूद है;

ii. ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी नशीले पेय या दवा के प्रभाव में नहीं होगा और यह भी ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का पालन इस तरह के पेय या दवा के प्रभाव से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है;

iii. सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं का सेवन करने से बचें;

iv. नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं दें;

v. किसी भी नशीले पेय या दवा का अधिक उपयोग न करें।

स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में क्लब भी शामिल होंगे जो विशेष रूप से सदस्यों के लिए हैं, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवाहन और अन्य सभी स्थानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, भुगतान पर या अन्यथा, जहां जनता को जाने की अनुमति है।

11. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी (संविदा श्रमिकों सहित) के यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। ऐसी घटनाएं, यदि बैंक की जानकारी में आती हैं, तो वर्तमान लागू कानूनों के अनुसार निपटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस प्रयोजन के लिए, "यौन उत्पीड़न" में ऐसा अवांछित यौन व्यवहार शामिल होगा, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या निहित रूप से हो: -

i. शारीरिक संपर्क और पहल,

ii. यौन फ़ेवर के लिए मांग या अनुरोध,

iii. यौन रंजित टिप्पणियां,

iv. अश्लील साहित्य दिखाना,

v. इसके अलावा संविधि/कानूनों में लागू सभी ऐसी परिभाषा/व्याख्या के अनुसार यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

12. अगर चिकित्सा परामर्शदाता ऋण के लिए या आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है।

13. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी रोगी को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या प्रापण के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस नहीं देगा, मांगेगा या प्राप्त नहीं करेगा और न ही देने, मांगने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा। वह चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा।

14. उपर्युक्त 13 में दिया गया प्रावधान उसके या किसी व्यक्ति, नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या प्रापण करने के लिए समान बल के साथ लागू होगा।

15. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता या उसके द्वारा स्वीकार किए गए संविदा के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक कुछ भी करता है या इसके अनुदेशों के विरुद्ध है या कदाचार के किसी अन्य कार्य का दोषी है तो संविदा समाप्त की जा सकती है।

अनुलग्नक – III

आवेदन पत्र
भारतीय रिज़र्व बैंक, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश

आरबीआई, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में निश्चित प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ संविदा के आधार पर अंशकालिक बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन पत्र

हाल ही में लिया गया स्वयं सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएँ

1. पूरा नाम: श्री/कुमारी/श्रीमती ____ _
(ब्लॉक अक्षरों में दिया जाना है, पहले उपनाम लिखा जाना है)

2. पिता/पति का नाम: ____

3. (a) पता:

वर्तमान	स्थायी	डिस्पेंसरी/अस्पताल जहां वर्तमान में कार्यरत हैं

(b) फोन नं. :_________________________________

(c) मोबाइल नम्बर :_________________________________

(d) ईमेल आईडी :_________________________________

स्टालिन सेंट्रल, डी. नं. 27-37-158, एमजी रोड, गवर्नर पेट, विजयवाड़ा-520002, आंध्र प्रदेश स्थित बैंक की डिस्पेंसरी से अनुमानित दूरी

निवास स्थान से दूरी (कि.मी. में)	वर्तमान में कार्यरत अस्पताल/डिस्पेंसरी से दूरी (कि.मी. में)

4. जन्म तिथि:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

5. जन्म स्थान और निवास:________________________________

6. राष्ट्रीयता:____________________________________

7. क्या आप एससी/एसटी/ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित (सामान्य) से संबंधित हैं:
एससी/एसटी/ओबीसी/यूआर/ईडब्ल्यूएस

8. शैक्षिक योग्यताएं (उच्चतम से न्यूनतम क्रम में प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा दर्शाएं)

क्र.सं.	डिग्री/डिप्लोमा	विश्वविद्यालय/बोर्ड	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत/ श्रेणी/रैंक

9. आवेदक द्वारा चिकित्सा में किए गए
किसी अन्य पाठ्यक्रम का विवरण: ____________________

10. अनुभव का विवरण
(केवल स्नातक के बाद का अनुभव ही लिखा जाना चाहिए) (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ें)

क्र.सं.	अनुभव	से	तक	अवधि	
				वर्ष	महीना/ने

11. कोई अन्य कारक जिसे आवेदक अपने आवेदन पर विचार करने के लिए ध्यान में लाना चाहे:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदन में दी गई कोई जानकारी गलत या झूठी है या यदि कोई महत्वपूर्ण जानकारी या विवरण छिपाया गया है या छोड़ दिया गया है या मैं बैंक के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता हूँ, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/सेवाएँ बिना किसी नोटिस या इसके बदले में मुआवजे के

रद्द/समाप्त की जा सकती हैं। मैंने विज्ञापन में दी गई शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान:

तारीख: (आवेदक के हस्ताक्षर)

निर्देश

1. इस फॉर्म में सभी विवरण आवेदक द्वारा भरे जाने चाहिए।
2. जिन आवेदनों में मांगे गए पूर्ण विवरण नहीं होंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति, अनुभव, भारतीय चिकित्सा परिषद/राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र आदि की स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
4. आवेदक द्वारा प्राप्त अनुभव के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र में ड्यूटी के घंटों और ड्यूटी की प्रकृति का विवरण होना चाहिए।
5. यदि अभ्यर्थी किसी संस्थान में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है तो उसका विवरण तथा कार्य समय भी दर्शाया जाना चाहिए।
6. चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

****